

Om
(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त

२५-५-२५

कोसकोई बुझी पर
पत्रावली सपोशा इति। कर्मि. कपी. उप वी स्पो उपस्थित
नही है। पूर्व जारी नोटिफ वाद ताकि। क. ताकि वापि
प्राप्त होकर सलंग पत्रावली नही है। कर्मि. कपीलावली
में एक पाठपत्र वापि कपीलाधीन कादेश कपीन
योग नही होकर त्रितीयक योग होने से सशक्त न्याया
ने पेश कले हेतु मूल पत्रावली लौटारि जाने का पेश
किया। पाठपत्र व कपीन पत्रावली का कपीलोकन किया।
अरे कपीन कादेश- 148 दि. 22/22 जिला वामकर कुन्वी का
श. 2. राजत्व (लूल, मालेज, मिकि, धर्मभाल) तथा साविकिक
उपयोग के लिए कवाधिवानित राजकीय कृषि भूमि का कापने)
जिपन, 1963 के निपने के अनुसार 2400. 1368 2 भाग 6-2 भाग है।
से से 0.089 है। जिपन री. पु. वसी उप. का. के लु दीवा को
कवति किया गया है। जो कपीन कादेश न्यायिक कदेश
मिगि न होकर प्रशासनिक कदेश है। तथा प्रशासनिक
कादेश पुनरीक्षण होय होने से न्यायस्थित में पाठपत्र स्वीकार
किया जायत मूल कपीन सशक्त न्याया ने पेश कले
हेतु कपीन को लौटारि जारी है। कदेशिका की प्रनाठित
प्रति वलि मूल कपीन लौटारि जाये। एक कपीन निम्ने कृषि प्रति
कादेश का न्याया. दया। उर्मिला राजोरिया पत्रावली वाद ताकि
नवागि कपीन 24/25 है।

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा